

प्रेषक

एल० वेंकटेश्वर लू  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

जिलाधिकारी,  
बुलन्दशहर ।

लखनऊ : दिनांक : ०४ मार्च, २०१३

राजस्व अनुभाग-10

महोदय,

महादय,


उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13  
में ओलावृष्टि के पूरक यथा—अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली  
समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को  
राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या—4024 / 1-10-2010 –14(63) / 2010,  
दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक  
ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम०एच०ए० पत्र संख्या  
32-7 / 2011-एन०डी०एम०-1, दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा जारी भारत सरकार की  
गाइड-लाइन के आईटम नं०-३ के प्राविधान Provision for Temporary  
Accommodation, food, clothig medical care etc. for people affected  
evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन /निराश्रित /असहाय  
तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या—2690 /  
1-10-2012-12(34) / 03टी०सी०-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रति तहसील कम्बल  
आदि हेतु रु० 5,00,000/- व अलाव हेतु रु० 50,000/- की धनराशि र्खीकृत करते  
हये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है।

हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखा गया है।  
2- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में समाचार पत्रों में निविदायें आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशन में हुये व्यय हेतु आप द्वारा की गयी मांग के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय कुल धनराशि ₹0 4,514/- (रुपये चार हजार पाँच सौ चौदह मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं :—

करते हैं :-  
3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट वित्तान रोमान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नाम जाला जावा।  
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है और इसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापि~~र~~न किया जाये।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि अवशेष बचती है तो उसे शासन को वापस की जायेगी।
6. शासनादेश संख्या—2690 / 1-10-2012-12(34) / 03टी0सी0-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शर्तें यथावत रहेगी।




भवदीय,  
एल० वेंकटेश्वर रौ  
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या७८६ (1)१-१०-२०१३-१२(३४) / ०३ -टी०सी०-०४ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2—सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहतकीवेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓5—वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6—मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 7—वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
- 8—समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11, इअराहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9—निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 10—गार्ड फाइल।



आश्वी से,  
( विनोद कुमार शर्मा )  
अनु सचिव।